

प्रश्नक

निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

1-0 100 4-2/8/16

सेवा में

1. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
2. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, सैक्टर-4, पंचकूला
3. निदेशक, सेकण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
4. महानिदेशक, आईटीआई विभाग, 30 वेज बिल्डिंग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक, प्रिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा पर्यटन भवन, सैक्टर-2, पंचकूला
6. महानिदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला
7. रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

27281-301

क्रमांक / अ0स0क0 / एस0जे0ई0 / 2016

चण्डीगढ़, दिनांक 29/7/16

विषय-

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये भलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाएं कमशः प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक की वर्ष 2016-17 की संशोधित टाईमलाईन अनुसार आवेदन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर विभाग के पत्र क्रमांक 26820-40/अ0स0क0/एस0जे0ई0/2016 दिनांक 22/07/2016 के निरन्तर में।

संदर्भित पत्र द्वारा आप सभी से अनुरोध किया गया था, कि इस विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये कमशः प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आनलाईन मांगे गये। छात्रवृत्ति के आवेदन नेशनल स्कालरशिप पोर्टल वेबसाइट [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) पर किये जायेंगे, जिसके लिये टाईमलाईन निम्नप्रकार से है :-

क्र0स0	स्कीम का नाम	छात्रों द्वारा नई/नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	संशोधित तिथि
1	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केवल पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए।	15 जुलाई से 31 जुलाई, 2016 तक	15 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केवल 10+1 तथा 10+2 कक्षा के छात्रों के लिए।	15 जुलाई से 31 जुलाई, 2016 तक	15 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक

संशोधित टाईमलाईन अनुसार आप अपने-2 से सम्बन्धित जिला अधिकारियों को निर्देश देवे कि योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करवाने का कष्ट करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों द्वारा आनलाईन आवेदन करके छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता देवे।

29/7/16

संयुक्त निदेशक (अ0स0क0)

कृते: निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

27251-301

पू0 क्रमांक / अ0स0क0 / एस0जे0ई0 / 2016 चण्डीगढ़, दिनांक 29/7/16

इसकी एक प्रति सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों, हरियाणा राज्य में भेजते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि संशोधित टाईमलाईन अनुसार अपने-2 जिले के सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों से बैठक करके स्कीमों का व्यापक प्रचार व प्रसार करवायें तथा छात्रवृत्ति के आवेदन अधिक से अधिक करने के लिये छात्रों को प्रेरित करें ताकि पात्र छात्रों को स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके। इस बारे व अपने-2 जिले में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना सुनिश्चित करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की अनगोहली के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

29/7/16

संयुक्त निदेशक (अ0स0क0)

P-70

## निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा वण्डीगढ़।

AOT/1

पृ०क० टी-4/PMS/अल्पसंख्यक समुदाय /2016/ 6846 दिनांक: 17-8-16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़। उनके पत्र क्रमांक 27281-301 /अ०स०क० /एस०जे०ई० /2016 दिनांक 29.7.2016 के संदर्भ में।
2. समुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०ओ०टी०, रोहतक व सभी राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) के मुखियों को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़ द्वारा भेज गई हिदायतों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दाखिले अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़ द्वारा पहले भेजी गई हिदायतों के मापदण्ड के अनुसार वेबसाइट [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्तर के सभी प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, भोड़ियाखेड़ा (फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, झज्जर एट गुडा, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर झिरका (मेवात), पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर। निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2016-17 में होने वाले दाखिले के अनुसार उक्त सभी संस्थानों के प्रधानाचार्यों से संपर्क करके अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के लिए अधिक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। उक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, वण्डीगढ़ द्वारा पहले भेजी गई हिदायतों के मापदण्ड के अनुसार वेबसाइट [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. उप-निदेशक प्रशिक्षण-4। प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके स्तर पर कार्यवाही करने हेतु।
5. नोडल अधिकारी वेबसाइट, (मुख्यालय पर)। विभाग वेबसाइट पर डालने हेतु।

Hans Saini  
12/8/16सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-4)  
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

[Signature]